पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/9181 /अका./2012 रायपुर, दिनाँक 31/12/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.12.2012 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल	–	सदस्य
3. प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4. प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
6. प्रो. ए.के. शर्मा	–	सदस्य
7. प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
8. डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
9. डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
10. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11. डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
12. डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	–	सदस्य
13. डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
14. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.10.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 08.11.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.10.2012 एवं 08.11.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.10.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 08.11.2012 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.10.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 08.11.2012 के कार्यवाही विवरण निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया–**

(1) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.10.2012 के विषय सूची कमांक–4 पर लिये गये निर्णय अनुसार डॉयरेक्टर, शारीरिक शिक्षा द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

(i) कीडा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2012 का अनुमोदन किया गया।

(ii) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.11.2011 में लिये गये निर्णय बिंदु कमांक–9 "कीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.8.2011 के विषय सूची कमांक 02 पर निर्णय लिया गया कि छात्रों से शारीरिक शुल्क कालेज के माध्यम से रू.150 जमा करायी जावे, जिसमें से महाविद्यालय विश्वविद्यालय में रू. 75 जमा करेगा"। स्वीकृति हेतु उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जावे।

(2) कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 08.11.2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला में प्राध्यापक, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम एवं प्राध्यापक, सीधी नियुक्ति के प्रकरण पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण विस्तृत जानकारी के साथ कुलाधिपति महोदय को प्रेषित किया जावे, ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके।

विषय कमांक–3

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.11.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.11.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–4

डॉ. एस.के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला का मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप दिनांक 01.12.2012 से 4 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : राजभवन के आदेश कमांक 1703/152–VIP/2012/रास/यू.–12 दिनांक 26.11.2012 के द्वारा डॉ.एस.के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला का मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति के पद पर 4 वर्ष के लिए नियुक्ति होने के फलस्वरूप विशेष प्रकरण मान्य करते हुए दिनांक 01.12.2012 से 4 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–5

डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की नियुक्ति अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई–दिल्ली के पद पर होने के फलस्वरूप तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति स्वीकृत कर दिनांक 01.12.2012 से कार्यमुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की नियुक्ति अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, नई–दिल्ली के पद पर होने के फलस्वरूप तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति स्वीकार कर दिनांक 01.12.2012 से कार्यमुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–6

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से Submission of Electronic Thesis & Setting of ETD Laboratory (Digitization) कार्य के लिए प्राप्त अनुदान राशि रू. 2030000/– से डिजिटाइजेशन कार्य बाह्य स्रोत से कराये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से Submission of Electronic Thesis & Setting of ETD Laboratory (Digitization) कार्य के लिए प्राप्त अनुदान राशि रु. 2030000/– से डिजिटाइजेशन कार्य बाह्य स्रोत से कराये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–7

वार्षिक परीक्षा 2013 के अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रु. 21,10,000/– भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2013 के अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण कार्य का देयक राशि रु. 21,10,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–8

विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2013 के परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2013 के तहत प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–9

श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् वेतन वृद्धि का एरियर्स रु. 6,53,759/– भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णयः श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् वेतन वृद्धि का एरियर्स राशि रु. 6,53,759/– भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–10

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 88/2012 डॉ. एल.एस. निगम के प्रकरण पर पैरवी करने हेतु प्रस्तावित श्री जे.पी. मिश्रा को नियुक्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित शुल्क के निर्धारण पर विचार करना।

निर्णयः प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 88/2012 डॉ. एल.एस. निगम के प्रकरण पर पैरवी करने हेतु प्रस्तावित श्री जे.पी. मिश्रा की नियुक्ति एवं उनके द्वारा प्रस्तावित शुल्क रु. 95000/– का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची–

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.12.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना ।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 08.12..2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.12.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना ।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.12.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–3

डॉ. बी.जी. सिंह, समन्वयक, यू.जी.सी. नेट परीक्षा 30 दिसंबर के लिए प्रदान की गई अग्रिम रु. 8,25,000/– की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **डॉ. बी.जी. सिंह, समन्वयक, यू.जी.सी. नेट परीक्षा 30 दिसंबर के लिए प्रदान की गई अग्रिम रु. 8,25,000/– की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–4

श्री राजेश पाण्डेय, अधिवक्ता की मानदेय राशि रु. 5000/– से रु. 8000/– प्रतिमाह किये जाने पर विचार करना ।

निर्णय : **श्री राजेश पाण्डेय, अधिवक्ता की मानदेय राशि रु. 5000/– से वृद्धि कर रु. 6000/– करने का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–5

वाहन क्रमांक सी.जी. 04 ई 0866 को विक्रय कर इसके स्थान पर नया वाहन बोलेरो महेन्द्रा क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय : **वाहन क्रमांक सी.जी. 04 ई 0866 को विक्रय कर इसके स्थान पर नये वाहन बोलेरो महेन्द्रा क्रय करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–6

वाहन सी.जी. 04–1244 (डाक वाहन) आटो को विक्रय कर इसके स्थान पर नया वाहन अशोक लिलेंड (दोस्त बंद बॉडी) मालवाहक क्रय करने की स्वीकृति पर विचार करना ।

निर्णयः **वाहन क्रमांक सी.जी. 04–1244 (डाक वाहन) आटो को विक्रय कर इसके स्थान पर नया वाहन अशोक लिलेंड (दोस्त बंद बॉडी) मालवाहक क्रय करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :-

1. विश्वविद्यालयीन शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनमान पेंशन एवं अन्य भत्ते के संबंध में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदन किया गया :
   - (i) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य शासन के शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए समय-समय पर घोषित वेतनमान एवं भत्ते के लिए प्रसारित आदेश /अधिसूचना में शामिल किए जाने का प्रावधान करना न्याय संगत होगा।
   - (ii) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को भी पेंशन के लिए राज्य शासन के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के लिए प्रसारित आदेश/अधिसूचना में शामिल किए जाने का प्रावधान करना न्याय संगत होगा।
   - (iii) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन शत-प्रतिशत राज्य शासन द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान करना न्याय संगत होगा।
   - (iv) शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप में संशोधन कर समय-समय पर शिक्षक/कर्मचारी/अधिकारी के नवीन पद स्वीकृत करे, जिससे UGC/NAAC से Grading/Funding का लाभ विश्वविद्यालय को मिले।

2.
   - (i) बायोसाइंस अध्ययनशाला में सहायक प्राध्यापक पद पर कु. संजना भगत के द्वारा दिनांक 9.11.2012 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा इस पद से दिनांक 11.12.2012 को दिये गये त्यागपत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाए।
   - (ii) इसके पश्चात् रिक्त पद पर बायोसाइंस अध्ययनशाला में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन समिति द्वारा प्रतीक्षा सूची में अनुशंसित श्री लब्यप्रभास की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

3. परीक्षा कार्योपरान्त शिक्षकों को प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक के भुगतान की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ.क्रमांक 9182 / अका. / का.प. / 2012 रायपुर, दिनांक 31 /12/ 2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यो को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी / प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

31/12/12

उपकुलसचिव (अकादमिक)